

दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों तथा दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को, जो ००४० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे।

४. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

५. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र शासनादेश संख्या—४५३/७९—वि—१—१५—१(क)—१४—२०१५ दिनांक ७.४.२०१५ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

६. किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

७. यदि अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा Website पर "Contact us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

८. फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट—१ में दी गई है। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट—२ पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का नमूना परिशिष्ट—३ पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रारम्भिक परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट—४ पर तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट—५ पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the top of the page, there is a Declaration for the candidates they are advised to go through the content of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification

Personal Details

This section shows Information about candidate personal details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

Other Details of candidate

Other details of candidate show the information about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and physical deformity.

Education & Experience Details

It shows educational and experience details of the candidate.

Candidate address, photo & signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidate. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that the candidate have mentioned on entry time if they are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using "Back" button the details can be Modified.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in>

CANDIDATE SEGMENT

CANDIDATE SEGMENT

NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

All Notifications / Advertisements

ONLINE FORM SUBMISSION

1. Candidate Registration (FIRST STAGE)

2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)

3. Submit Application Form (THIRD STAGE)

APPLICATION FORM STATUS

Update your transaction ID by Double Verification mode

View Application Status

List of Applications Having Photo related Objections⁷

Print Duplicate Registration Slip

Print Detailed Application Form

EXAMINATION SEGMENT

Print Address Slip for sending Documents to Commission

[Only for Direct Recruitment]

DOWNLOAD SEGMENT

Download Admit Card

Download Interview Letter

Download Syllabus

Know your Registration No.

Click here to view Key Answer Sheet

Regarding Application:

- On clicking "View Application status" option in candidate Segment page you can see current status of candidate.
- On clicking "Result" option in candidate Segment page candidate can see result status of periodically.
- "Interview/Exam Schedule" option in candidate Segment page candidate can see interview and examination schedule details periodically.
- On clicking "Key Answer Sheet" candidate can download key answer sheet.
- On clicking "Admit Card/Hall Ticket" candidate can download their Admit Card using with some basic credential of candidate.
- On clicking "List of Rejected Candidate" candidate can view rejected candidate list.
- On clicking "Syllabus" candidate can view syllabus of particular examination.

(Candidates applying on-line need NOT send hard copy of the Online Application filled by them on-line or any other document/certificate/testimonial to the Uttar Pradesh Public Service Commission. However they are advised to take printout of the On-line Application and retain it for further communication with the UPPSC.) (The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions). UPPSC takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents at subsequent stages of examination process.

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement after which the web-link will be disabled.


परिशिष्ट—१

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

- Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.
- Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
- The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in *.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.
- Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.
- If the size of the file is more than 50KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.
- The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
- The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
- The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature:-



परिशिष्ट-2

जिन जनपदों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्नवत् हैं :-

लखनऊ, प्रयागराज

अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटायी/बढ़ाई जा सकती है।

परिशिष्ट-3

उम्रो की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुपुत्र/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यता रहता है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद का नाम जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुपुत्र/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद का नाम जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

(प्रपत्र- I)

कार्यालय का नाम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या दिनांक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी पुत्र/ पति/ पुत्री ग्राम/ कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
 - II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
 - III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 - IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी
- जाति के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम पदनाम जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/ पुत्री/ पत्नी ग्राम/ कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/ रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु. (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

<p>अथवा</p> <p>कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।</p> <p>4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है—</p> <ul style="list-style-type: none"> I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर। II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का पलैट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। <p>मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।</p> <p>नोट:—जो लागू नहीं हो उसे काट दें।</p> <p style="text-align: center;">आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।</p> <p>स्थान:—</p> <p>दिनांक:—</p> <p>उम्र के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण—पत्र</p> <p>CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.</p> <p>NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL Certificate No.....</p> <p>DISABILITY CERTIFICATE</p> <p>This is certified that Shri/Smt/Kum..... son/wife/daughter of Shri age.....sex.....identification mark(S) is suffering from permanent disability of following category.</p> <p>A. Locomotor or cerebral palsy :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) BL-Both legs affected but not arms. (ii) BA-Both arms affected <ul style="list-style-type: none"> (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (iii) BLA-Both legs and both arms affected (iv) OL-One leg affected (right or left) <ul style="list-style-type: none"> (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic (v) OA-One arm affected <ul style="list-style-type: none"> (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop) (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance. <p>B. Blindness or Low Vision :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) B-Blind (ii) PB-Partially Blind <p>C. Hearing impairment :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) D-Deaf (ii) PD-Partially Deaf <p>(Delete the category whichever is not applicable)</p> <p>2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of year months.</p> <p>3. Percentage of disability in his/her case is percent.</p> <p>4. Sh./Smt./Kum..... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) F-can perform work by manipulating with fingers. Yes/No (ii) PP- can perform work by pulling and pushing. Yes/No (iii) L-can perform work by lifting. Yes/No (iv) KC- can perform work by kneeling and crouching. Yes/No (v) B-can perform work by bending. Yes/No (vi) S-can perform work by sitting. Yes/No (vii) ST- can perform work by standing. Yes/No (viii) W-can perform work by walking. Yes/No (ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No 	<p>(x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No</p> <p>(xi) RW- can perform work by reading and writing. Yes/No</p> <p>(Dr.....) (Dr.....) (Dr.....)</p> <p style="text-align: center;">Member Medical Board</p> <p style="text-align: center;">Member Medical Board</p> <p style="text-align: center;">Chairperson Medical Board</p> <p style="text-align: center;">Countersigned by the Medical Superintendent/CMO/HQ Hospital (with seal)</p> <p>Strike out which is not applicable.</p> <p>उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण—पत्र का प्रपत्र।</p> <p style="text-align: center;">प्रमाण—पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती निवासी ग्राम—....., तहसील—....., नगर—..... जिला—..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधिकों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।</p> <p>स्थान : हस्ताक्षर दिनांक : पूरा नाम पदनाम मुहर जिलाधिकारी (सील)</p> <p>कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र जो उम्र के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या—22/21/1983—कार्मिक—2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण—पत्र के फार्म—1 से 4 प्रारूप—1</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।</p> <p>उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।</p> <p>यह प्रमाण—पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।</p> <p>स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट: यह प्रमाण—पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल ऐसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।</p> <p style="text-align: center;">प्रारूप—2</p> <p>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</p> <p>(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय ऐसोसिएशन का नाम) राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय</p>
--	---

1(iii) वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप—ए (पौध संरक्षण शाखा)

- भारत में पौध संरक्षण का इतिहास एवं महत्व।
- उत्तर प्रदेश में पौध संरक्षण संगठन की स्थापना।
- कीट नियंत्रण के सिद्धान्त क्रमशः भौतिक यान्त्रिक कर्षण और जैविक एवं एकीकृत कीट प्रबन्धन।
- पौध संरक्षण यंत्रों का देखभाल एवं रख रखाव।
- अनाजों एवं दलहनी फसल के भण्डारण कीट।
- प्रमुख फसलों के कीट प्रबन्धन, अनाज (धान, गेहूँ), मोटे अनाज (मक्का, ज्वार एवं बाजरा) तिलहनी फसल (सरसों, तिल एवं सूर्यमुखी), दलहनी फसल (अरहर, मटर, चना एवं मसूर) और गन्ना।
- पौध संरक्षण का सामान्य सिद्धान्त एवं कृषि में इसका महत्व।
- पौध संक्रमण के सिद्धान्त एवं इनकी पृथकीकरण की विधियाँ।
- पौध रोग नियंत्रण के सिद्धान्त, संगरोध, कर्षण क्रियायें, जैविक विधियाँ, रासायनिक विधियाँ तथा रोग प्रतिरोधक विधियाँ, बीजोपचार छिड़काव, धूलिमार्जन, कवकनाशी एवं प्रतिजैविक विभिन्न समूह की कार्य विधि।
- उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में अनाज, दलहनी, तिलहनी, फलों एवं सब्जियों के प्रमुख रोग के लक्षण, हेतुकी, संचरण एवं नियंत्रण।

1(iv) वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप—ए (रसायन शाखा)

मृदा—भौतिक, रसायनिक एवं जैविक गुण, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं एवं प्रभावित करने वाले कारक। मृदा की खनिज एवं जैविक भाग एवं उनकी मृदा उत्पादकता को बनाये रखने में महत्व। आवश्यक पादप तत्व—मुख्य एवं सूक्ष्म एवं मृदा में अन्य लाभकारी तत्व। तत्व उपलब्धता के स्रोत एवं प्रकार। मृदा उर्वरता के सिद्धान्त एवं एकीकृत तत्व प्रबन्धन। मृदा में नत्रजन (नायट्रोजन) की हानि एवं फास्फोरस तथा पोटाश स्थिरीकरण अम्लीय लवणीय एवं जलमग्न मृदाओं की रसायनिक गुण एवं उनके सुधार की विधियाँ। मृदा के प्रकार एवं उनकी प्रमुख विशेषताएं।

मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान—विभिन्न मृदा में पाये जाने वाले जीवों के प्रकार एवं उनकी परिस्थितिकी। मृदा, तत्वों के सूक्ष्म जीव रूपान्तरण जैविक पदार्थों तथा कीटनाशकों के जैव अक्रमण एवं फसलोत्पादन तथा मृदा सुधार में उनका उपयोग।

कृषि से सम्बन्धित मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या। प्रदूषणों की प्रकृति एवं स्रोत, उनका फसलों तथा मृदाओं पर प्रभाव: मृदा अपशिष्ट निपटान का एक स्रोत। कीटनाशक—उनका वर्गीकरण एवं मृदा में उनकी प्रकृति तथा मृदा सूक्ष्म, तत्वों पर उनका प्रभाव। जहरीले तत्व का उनके स्रोत, मृदा में, उनकी प्रकृति तथा मृदा सूक्ष्म तत्वों पर उनका प्रभाव, जहरीले तत्व व उनके स्रोत, मृदा में उनकी प्रकृति तथा तत्वों एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव तत्वों एवं कीटनाशकों के निक्षालन का जल संसाधनों का प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैस—कार्बन डाई आक्साइड, मीथेन एवं नाइट्रस आक्साइड। प्रदूषित मृदा एवं जल संसाधनों के सुधार की विधियाँ।

भूमि संरक्षण एवं मृदा सर्वेक्षण—परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार, भूमि उपयोगिता वर्गीकरण। मृदा कटाव—जल क्षरण की परिभाषा, प्रक्रिया, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक। जल क्षरण में मृदा अपवाह एवं तत्वों का हास तथा उनके अनुमान तथा मापन की विधियाँ—

मृदा एवं जल संरक्षण विधियाँ—शस्य अभियन्त्रिकी एवं वानिकी विधियाँ। वायुक्षरण रोकथाम विधियाँ—सतही एवं वानिकी (वायुरोधक एवं रक्षिपटटी)। शुष्क कृषि—शुष्क क्षेत्र खेती, एवं वर्षा आधारित खेती के उपाय। जलागम प्रबन्धन—संकल्पना, सिद्धान्त, उद्देश्य, क्रमवार कार्य एवं घटक। जलागम प्रबन्धन से सम्बन्धित योजनाएं एवं जैवऔद्योगिक जलागम प्रबन्धन की संकल्पना। सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं समस्यानिक तकनीकी का सर्वेक्षण एवं जलागम के योजना एवं प्रबन्धन में उपयोगिता। संरक्षण सिंचाई—परिभाषा, जलबहाव हानि पर नियंत्रण, जल बचत की सतही, छिड़काव एवं टपकाव विधियाँ। जलनिकास—संभावित पुनः उपयोग की सतही एवं अधोसतही विधियाँ व कम खर्चीली जैव जलनिकास विधि। समस्याग्रस्त क्षेत्रों—बीहड़ एवं खड़ड, जलमग्न क्षेत्र लवणीय, मृदा, पहाड़ी ढलान, भूस्खलन, बहाव—कटाव नियंत्रण, बालू के टीलों का स्थिरीकरण एवं अन्य बंजर/बेकार भूमियों में वृक्षारोपण को प्रभावी बनाने की भूमिसंरक्षण विधियाँ। कृषि वानिकी—परिभाषा, उद्देश्य, आवशकता, महत्व एवं प्रणाली। जलवायु परिवर्तन को सीमित रखने एवं कृषि विकास परिस्थिकीय संतुलन एवं राष्ट्रीय आर्थिक सुधार में वानिकी विकल्प। खड़ड नियंत्रण संरचनाएं—अवरोध बांध तालाब एवं जलसंग्रहण संरचनाओं की अभिकल्पन एवं निर्माण।

(2) वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप—ए (विकास शाखा)

- कृषि मौसम विज्ञान का महत्व, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण एवं कृषि पर इसका प्रभाव, मौसम प्रतिकूलता—सूखा, बाढ़ एवं पाला, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र।
- एकीकृत कृषि प्रणाली—क्षेत्र, महत्व, संकल्पना, फसल पद्धति एवं फसल प्रकार, बहुफसली एवं सहफसली, जैविक खेती।
- सतत् कृषि—समस्यायें तथा इसका कृषि पर प्रभाव, एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन की संकल्पना (आई.एन.एम.)।
- एकीकृत कीटनाशी प्रबन्धन (आई.पी.एम.), एकीकृत खरपतवार प्रबन्धन (आई.डब्ल्यू.एम.), जलागम प्रबन्धन—संकल्पना, उद्देश्य एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एवं दुग्ध विकास का योगदान, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, भारत में विभिन्न कृषि क्रान्तियाँ, बीज के प्रकार, जलवायु परिवर्तन को सीमित रखने में वानिकी का योगदान।
- स्वतन्त्रता के पूर्व एवं पश्चात् कृषि प्रसार का प्रयास, कृषि में कृषि विज्ञान केन्द्र, सूचना तकनीकी एवं संचार का योगदान।
- पैकेज एवं प्रैविटसिसेस:
 - (i) धान्य फसलें: धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा
 - (ii) दलहनी फसलें: अरहर, चना, मसूर, मटर
 - (iii) तिलहनी फसलें: सरसों, अलसी, तिल
 - (iv) नकदी फसलें: गन्ना, आलू
 - (v) सब्जी की फसलें: टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी
 - (vi) फल वाली फसलें: आम, अमरुद, ऑवला
 - (vii) पुष्पीय फसलें: ग्लैडिओलस, गेंदा, गुलाब

सचिव

